Various grades of coal in Western Coalfields Ltd.

*187. SHRI PRAGADA KOTAIAH: DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

what are the various grades of coal available with the Central India coal mines of the Western Coal-fields Limited;

(b) what are their rates;

(c) the grades of coal which are preferred by coal fired power plants; and

(d) what is the availability position of these grades of coal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) The Details of different grades of coal being produced in mines of Western Coal fields Limited (WCL) and their price as per Notification issued by the Government in June, 1994 are as under:

Grade	Pit head price (excluding royalty and other levies) per tonne		
	Steam Rs.	Slack Rs.	ROM Rs.
Non-coking			
A	677	670	667
B	621	614	611
C	548	541	538
D	441	434	431
E	332	325	322
F	267	260	257
Medium-coking			
Washery Grade-I	768	761	758
Washery Grade-II	638	631	628

NOTE: The prices of A to D grades are for long flame coals.

(c) WCL supplies grade C to F of non-coking coal to the power stations.

(d) The estimated availability of non-coking coal (Grades C to F) as per annual production plan of WCL for the year 1995-96 is about 24.00 million tonnes.

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना

*188. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ना उत्पादकों को उनके बकाया भुगतान पर ब्याज का भी भुगतान किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो किस दर से और गन्ना उत्पादकों को ब्याज के रूप में राज्यवार कितनी-राशि का भुगतान किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह): (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किए गए गन्ना (नियंत्रण) आदेश के अनुसार केन्द्रीय सरकार गन्ने सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है जिससे कम मूल्य कोई भी चीनी फैक्ट्री अदा नहीं कर सकती। तथापि, व्यवहार में किसानों को गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों का भुगतान किया जा रहा है जो सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक है। गन्ने के मूल्यों की बकाया राशि का समय से भुगतान सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है जिनके पास ऐसे भुगतान लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन है। केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से समय-समय पर राज्य सरकारों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के समय से भुगतान करने में तेजी लाने के लिए परामर्श देती रही है। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा गन्ने की सुपुर्दगी के 14 दिन के अन्दर गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है तो गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के खण्ड 3 (3क) के अधीन चीनी फैक्ट्रियों को आपूर्ति के 14 दिन बाद विलम्ब की अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। इस संबंध में राज्य सरकारों को पत्र लिखे गए हैं। ब्याज के संबंध में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, गन्ने की मूल्य की बकाया राशि की संबंध में राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।